

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प. 13(1)पपा/1998 पार्ट-II

जयपुर दिनांक: 19 FEB 2018

संशोधित आदेश

शासन के पत्र क्रमांक प.13(1)पपा/1998 पार्ट-II दिनांक 24.03.2017 के अनुसार पशुपालन विभाग में 62 अनुबंधित पशुधन परिचरों को सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने तक निरन्तर रखे जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पत्र के विषय में सहवन से "अनुबंधित सर्ईसों" तथा पत्र के मुख्य भाग में "अनुबंध के आधार पर 62 सर्ईसों" अंकित हो गया था, उक्त "अनुबंधित सर्ईसों" के स्थान पर "अनुबंधित पशुधन परिचरों" एवं "अनुबंध के आधार पर 62 सर्ईसों" के स्थान पर "अनुबंध के आधार पर 62 पशुधन परिचरों" संशोधित कर पढा जावें।

६३-

(सुरेश दुर्गानी)
शासन उप सचिव

क्रमांक:-प. 13(1)पपा/1998 पार्ट-II

जयपुर दिनांक:

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

६६.

शासन उप सचिव

निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक

686-786

दिनांक :

15/2/18

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
4. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. कम्प्युटर ऑपरेटर, निदेशालय को वेबसाईट अपलोड करने हेतु।



(डॉ. महेश कटारा)

अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)